

निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प विजयपुरा

प्र.सं 13/2018 प्रा.पत्र

निर्णय दिनांक 28.05.2018

अनवान

1. श्री पूर्णसिंह पिता उदयसिंह रावत नि. कीटो का बाडीया त. देवगढ़ जि.राजसमंद

.....प्रार्थी

बनाम

श्री लालसिंह पिता उदयसिंह रावत नि. कीटो का बाडीया त. देवगढ़ जि.राजसमंद
श्री जेठूसिंह पिता पुनमसिंह रावत नि. वार्ड न.1 बोहरो का कुआ कामली त. देवगढ़ जि.राजसमंद
श्री मानसिंह पिता पुनमसिंह रावत नि. वार्ड न.1 बोहरो का कुआ कामली त. देवगढ़ जि.राजसमंद
श्री खीमसिंह पिता पुनमसिंह रावत नि. वार्ड न.1 बोहरो का कुआ कामली त. देवगढ़ जि.राजसमंद
श्रीमति मेहताबी पत्नी पुनमसिंह रावत नि. वार्ड न.1 बोहरो का कुआ कामली त. देवगढ़ जि.राजसमंद
श्री तारूसिंह पिता खीमसिंह रावत नि. वार्ड नं. 1 कलालवाडी कामली त.देवगढ़ जि. राजसमंद
श्री केशरसिंह पिता खेतसिंह रावत नि. वार्ड नं. 1 कलालवाडी कामली त.देवगढ़ जि. राजसमंद
श्री प्रतापसिंह पिता भूरसिंह रावत नि. वार्ड नं. 1 कलालवाडी कामली त.देवगढ़ जि. राजसमंद

.....विपक्षीगण

वाद अर्न्तगत धारा 111-128 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली आज दिनांक 28.5.2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प विजयपुरा में पेश हुई। पक्षकारण को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं। पक्षकारन उपस्थित रहे। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का आवलोकन किया विवरण इस प्रकार है।


प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कामली प.ह. कामली त.देवगढ़ में उसकी कृषि भूमि स्थित हैं। खाता सं. 80 में प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमियां क्रमशः आराजी सं. 397 रकबा 0.12 आराजी नं. 398 रकबा 0.13 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थी ने अभी तक पत्थरगढ़ी नहीं करवाई हैं। मौके पर पक्की पत्थर की दीवार अथवा सीना चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी व पड़ोसी के बीच सीमा सम्बंधी विवाद बना रहता है। हर समय फसल बर्बाई तथा कटाई के सीमा सम्बंधित विवाद करते रहते हैं, जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता है। मौके पर अशांति कायम रहती हैं। जिससे प्रार्थीगण उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बन्दनपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थीगण उकसी भूमिका का शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश बन्दन करायें जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प विजयपुरा में नियत कर। पक्षकारन को पुनः सूचना पत्र जारी किये गया। अन्य पक्षकारन अनुपस्थित रहें। यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की नपती पत्थरगढी हो जाती हैं तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम कामली प.ह. कामली त.देवगढ़ की नकल जमाबन्दी सं० 2070 से 2073 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो ग्राम कामली प.ह. कामली त.देवगढ़ में उसकी कृषि भूमि स्थित है। खाता सं. 80 में प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमियां कमशः आराजी सं. 397 रकबा 0.12 आराजी नं. 398 रकबा 0.13 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढी की जाकर रिपोर्ट पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार को नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 28.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प विजयपुरा में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम कि जावें।


सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद